# प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.09.23

**थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा डिलीवरी बॉय से हुई लूट की घटना का सफल अनावरण कर 02 लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया ई-कार्ट कम्पनी का कीमती सामान, लूटी गयी मोटर साइकिल व घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार बरामद**

दिनांक 21.09.2023 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी लोकेश राजपूत (डिलीवरी बॉय) द्वारा तहरीर दी गयी कि गाड़ी सवार दो व्यक्ति उससे ई-कार्ट कम्पनी का सामान जिसमें एप्पल मोबाइल व अन्य कीमती सामान तथा मोटर साइकिल छीनकर ले गये। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट के माध्यम से उक्त घटना का सफल अनावरण कर दिनांक 25.09.2023 को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर घटना करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. अनिल यादव पुत्र बालेश्वर यादव निवासी ग्राम सरफाबाद थाना से0 113 जनपद गौतमबुद्धनगर, 2. राहुल ठाकुर पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम कपना थाना जहांगीरपुर जनपद बुलंदशहर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटा गया ई-कार्ट का कीमती सामान, लूटी गयी मोटर साइकिल व घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार बरामद। अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त**

1. अनिल यादव पुत्र बालेश्वर यादव निवासी ग्राम सरफाबाद थाना से0 113 जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. राहुल ठाकुर पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम कपना थाना जहांगीरपुर जनपद बुलदंशगर।

**आपराधिक इतिहास-**

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पर लूट का 01 अभियोग तथा अभियुक्त अनिल के विरुद्ध थाना विजयनगर पर मारपीट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

**बरामदगी का विवरण:-**

- लूटा गया ई-कार्ट कम्पनी का कीमती सामान,
- लूटी गयी मोटर साइकिल,
- घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार

**गिरफ्तारी/सहयोग करने वाली पुलिस टीम**

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

**पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पुलिस टीम द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाले 75-75 हजार रूपये अनुचित रूप से प्राप्त करने वाले अभियुक्तगण गिरफ्तार**

**घटना एवं कार्यवाही का विवरण:-**

श्रम प्रवर्तन अधिकारी गाज़ियाबाद द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत पूर्व से शादीशुदा प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी तरीके से पंजीकरण कराकर सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत मिलने वाले अनुदान 75 – 75 हजार रूपये अनुचित रूप से प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में दिनांक 20.05.2023 को थाना सिहानीगेट पर 6 अभियोग पंजीकृत कराये गये। विवेचना के क्रम में आज अभियुक्तगण 1.अनुज पुत्र राजे नि0- .याकुबपुर मवी थाना निवाडी जनपद गाज़ियाबाद 2. राजेन्द्र पुत्र गंगाशरण व एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण के संबंध मे दिनांक 20.9.2023 को दो अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण**

1अनुज पुत्र राजे नि0- .याकुबपुर मवी थाना निवाडी जनपद गाज़ियाबाद

2. राजेन्द्र पुत्र गंगाशरण नि0 - ग्राम कनकपुर थाना भोजपुर जनपद गाज़ियाबाद

3. एक अभियुक्ता

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

**थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा फायरिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस तथा कार आई-20 बरामद**

दिनांक 25.09.2023 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री पकंज शर्मा पुत्र श्री ओमपाल शर्मा नि0 सिहानी रोड गली न0 9 विद्या विहार कौशल नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने तहरीर दी कि जब मैं अपने दोस्त के साथ रात्रि में काजमपुर शराब के ठेके के पास खड़ा था तो एक आई 20 गाडी सवार 02 अज्ञात लडकें नशे की हालत में आये तथा उनके द्वारा वादी व वादी के मित्र के साथ गाली गलौच की गयी जब हमने इसका विरोध किया तो आई-20 गाडी सवार लडकों द्वारा वादी की गाडी के बराबर मे अपनी गाडी लगाकर उन पर जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर कर दिया गया। थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

दिनांक 26.09.2023 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटैज व मैनुअल इन्पुट के माध्यम से उक्त घटना का सफल अनावरण चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.हरेन्द्र चौधरी उर्फ गुडडू पुत्र स्व0 श्री प्रदीप चौधरी निवासी ग्राम निजामपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद, 2.आर्यन कुशवाह पुत्र संजीव कुशवाह निवासी म.न.– डी 2 तेलमिल मदनपुरा थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त कार आई-20 तथा अभियुक्त हरेन्द्र चौधरी से घटना में प्रयुक्त पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

1.हरेन्द्र चौधरी उर्फ गुडडू पुत्र स्व0 श्री प्रदीप चौधरी निवासी ग्राम निजामपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष,

2.आर्यन कुशवाह पुत्र संजीव कुशवाह निवासी म0नं0–डी 2 तेलमिल मदनपुरा थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

**बरामदगी का विवरण –**

- घटना मे प्रयुक्त 01 पिस्टल व 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर,
- घटना में प्रयुक्त कार आई-20,

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

**थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा धोखाधडी कर पैसा हडपने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना शालीमार गार्डन ट्रांस हिण्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद पर वादी श्री नरेश कुमार पुत्र श्री प्रीतम सिंह निवासी गली न0-2 हर्ष विहार, दिल्ली-93 की तहरीर के आधार पर दिनांक 09.08.23 को वादी के साथ करीब 47 लाख रुपये हडप लेने के सबंध में सुसंगत धारों में अभियोग पंजीकृत हुआ था।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.09.23 को 1/9639 तृतीय तल गली न0 5 बैल गली प्रतापुरा पश्चिमी रोहताश नगर शाहदरा दिल्ली से मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मोहित जैन पुत्र प्रदीप  जैन नि0 1/11622 फर्स्ट फ्लोर पंचशील गार्डन नवीन शाहदरा दिल्ली उम्र 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता**

मोहित जैन पुत्र प्रदीप जैन नि0 1/11622 फर्स्ट फ्लोर पंचशील गार्डन नवीन शाहदरा दिल्ली उम्र 33 वर्ष

**गिरफ्तार करने वाली टीमः-**

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम

## थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 23.09.23 को थाना लोनी क्षेत्रांतर्गत सब्लू गढी में दो व्यक्तियों में आपसी झगडे के दौरान एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल करने तथा दौराने उपचार उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। थाना लोनी पुलिस द्वारा वादिया से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित गयी।

आज दिनांक 26.09.23 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राजेश शर्मा पुत्र कन्हैया निवासी ग्राम सबलू गढी थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि  बब्लू शर्मा मेरा छोटा भाई था, जो होली चाईल्ड स्कूल की बस चलाता था और शराब पीने का आदी था हम दोनो अक्सर साथ बैठकर शराब पीते रहते थे तथा शराब के नशे में हमारा झगडा भी होता रहता था। दिनांक 23/09/2023 को शाम के करीब 8 बजे मैं घर पर ही था तभी बब्लू भी घर पर आ गया तथा बब्लू ने शराब पी रखी थी तब मैंने पहले से ही लाये हुये शराब के बोतल निकाली ओर हम दोनो साथ में बैठकर शराब पीने लगे और शराब के नशे में हमारा झगडा हो गया था। मैने मन ही मन मे सोचा कि आस पास कोई नहीं है तो अगर में इसको नशे की हालत में ही मार दूंगा और सभी से बोल दूंगा कि इसनें आत्मा हत्या कर ली है और बब्लू के मरने के बाद घर में मैं और बब्लू की पत्नी सोनी ही रहेंगे तब मैं मौके का फायदा उठाकर बब्लू की पत्नी सोनी से शादी कर लूंगा। तभी मैनें पास में ही रखी सब्जी की टोकरी में से सब्जी काटनें वाला चाकू उठाया और बब्लू को जान से मारनें की नियत से हमला कर उसके गले पर कई बार चाकू मार दिया था जिससे उसके गले में गहरा घाव लग गया था। मैं मौके पर से अपनी उपस्थिति छुपाने के लिये भाग गया था और भागते हुए ही वह चाकू मैनें डर के कारण घर के पास ही नाली के पास फैंक दिया था।

**<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

राजेश शर्मा पुत्र कन्हैया निवासी ग्राम सबलू गढी थाना लोनी गा0बाद उम्र करीब 37 वर्ष,

**<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>**:-

थाना लोनी पुलिस टीम।